

वित्तीय दिशा निर्देशन
“A”

कार्यक्रम का नाम – ऑपरेशनलाईज ब्लड स्टोरेज यूनिट्स इन एफ0आर0यू0

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर) – ऑपरेशनलाईज एफ0आर0यू0 (डीजल, सर्विस मेंटनेंस चार्ज, मिसलेनियस एण्ड अदर कॉस्ट)

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर) – A.1.1.1
(PART -A)

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

राज्य के सभी 76 FRU's में Blood Bank / Blood Storage Centre को लोक-निजी साझेदारी के तहत संचालित किया जाना है । 21 FRU's में Blood Bank पूर्व से कार्यरत है । शेष 55 FRU's के रक्त भंडारण केन्द्रों को संचालित करने हेतु उपकरण उपलब्ध करायी जा चुकी है ।

प्रत्येक ब्लड बैंक एवं ब्लड स्टोरेज सेंटर की स्थापना एवं कार्यान्वयन की आवश्यकता इसलिये महसूस की गयी कि जिलों में सामान्य एवं गहन ऑपरेशन किया जा सके । Blood Bank / Blood Storage Centre के अभाव में इस कार्य में प्रगति नहीं हो पा रहा है । इस संबंध में विगत वर्ष PPP के अंतर्गत एजेंसी के द्वारा Blood Bank/Blood Storage Centre को चलाने का निर्णय लिया गया । 76 FRUs में से केवल 5 FRUs के लिये ही एक एजेंसी मेसर्स संतोष मेडिकल निविदा में उर्तीण होकर Blood Storage Centre का संचालन कर रहे हैं ।

संतोष मेडिकल एजेंसी को 5 जिलों के FRUs यथा-1) सदर अस्पताल, सहरसा, 2) सदर अस्पताल, पूर्णिया, 3) अनुमंडलीय अस्पताल, अररिया, 4) अनुमंडलीय अस्पताल, किशनगंज तथा 5) सदर अस्पताल, कटिहार में कार्य करने हेतु चयनित किया गया है ।

ब्लड बैंक/ब्लड स्टोरेज सेंटर चयनित FRUs के स्तर पर चलायी जायेगी । इसके प्रारम्भ होने के पश्चात प्रखंड/जिला स्तर के रोगियों को रक्त की कमी की समस्याओं को बहुत हद तक दूर किया जा सकेगा । इसके लिये Blood Donation Camp भी प्रखंड/जिला स्तर पर लगाया जायेगा, जिससे की ब्लड बैंक/रक्त भंडारण केन्द्र की गुणवत्ता के साथ-साथ इसकी उपयोगिता भी सिद्ध हो सके । इसके लिये अलग से राशि आवंटित की जा रही है ।

राज्य स्वास्थ्य समिति एवं बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सम्मिलित प्रयास से Blood Bank / Blood Storage Centre को चलाया जाना है । अतः इसका मूल्यांकन भी SHSB / BSACS के स्तर से कराया जायेगा ।

इकाई राशि (रु0 लाख में) –

| क्रम सं0 | विवरणी | दर | माह | राशि (3 x 4 = 5) |
|---|---------------------------|------------------|-----|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | डीजल | 5,000/- प्रतिमाह | 12 | 60,000/- |
| 2 | सर्विज एवं मेंटनेंस शुल्क | 5,000/- प्रतिमाह | 12 | 60,000/- |
| 3 | मिसलेनियस एवं अन्य | 2,000/- प्रतिमाह | 12 | 24,000/- |
| एक इकाई का एक वर्ष में संचालन हेतु कुल खर्च | | | | रु0 – 1,44,000/- |

वित्तीय दिशा निर्देशन "B"

कार्यक्रम का नाम - ऑपरेशनलाईज ब्लड स्टोरेज यूनिट्स इन एफ0आर0यू0

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर) - ऑपरेशनलाईज एफ0आर0यू0 (डीजल, सर्विस मेटनेंस चार्ज, मिसलेनियस एण्ड अदर कॉस्ट)

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर) - A.1.1.1
(PART -A)

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण -

राज्य के सभी 76 FRU's में Blood Storage Centre को लोक-निजी साझेदारी के तहत संचालित किया जाना है। 21 FRU's में Blood Bank पूर्व से कार्यरत है। शेष 55 FRU's के रक्त भंडारण केन्द्रों को संचालित करने हेतु उपकरण उपलब्ध करायी जा चुकी है।

प्रत्येक ब्लड बैंक एवं ब्लड स्टोरेज सेंटर की स्थापना एवं कार्यान्वयन की आवश्यकता इसलिये महसूस की गयी कि जिलों में सामान्य एवं गहन ऑपरेशन किया जा सके। Blood Bank / Blood Storage Centre के अभाव में इस कार्य में प्रगति नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में विगत वर्ष PPP के अंतर्गत एजेंसी के द्वारा Blood Bank/Blood Storage Centre को संचालित कराने का निर्णय लिया गया। 76 FRUs में से केवल 5 FRUs के लिये ही एक एजेंसी इस निविदा में उर्तीण होकर Blood Storage Centre का संचालन कर रहे हैं। ब्लड बैंक/रक्त भंडारण केन्द्रों को संचालित करने के संबंध में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रा0स्वा0स0 की अध्यक्षता में दिनांक 24.03.09 को एक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें बि0रा0ए0नि0स0, यूनिसेफ एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाईटी के प्रतिनिधि उपस्थित हुये।

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य द्वारा उक्त बैठक में सर्वप्रथम ब्लड बैंक को इंडियन रेड क्रॉस सोसाईटी के माध्यम से संचालित कराने हेतु निर्णय लिया गया है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाईटी एक प्रतिष्ठित संस्था है एवं ब्लड बैंक के संचालन का इसका अनुभव भी है तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष होते हैं, अतः इंडियन रेड क्रॉस के माध्यम से Blood Bank / Blood Storage Centre का संचालन एक कारगर कदम है।

पूर्व में संतोष मेडिकल एजेंसी को 5 जिलों के FRUs यथा-1) सदर अस्पताल, सहरसा, 2) सदर अस्पताल, पूर्णिया, 3) अनुमंडलीय अस्पताल, अररिया, 4) अनुमंडलीय अस्पताल, किशनगंज तथा 5) सदर अस्पताल, कटिहार में कार्य करने हेतु चयनित किया जा चुका है, इसलिये इन जिलों को छोड़कर शेष 17 Blood Bank वाले जिलों को निदेशानुसार इंडियन रेड क्रॉस सोसाईटी के माध्यम से प्रथम चरण में संचालित कराने की कार्रवाई चल रही है। उक्त 17 Blood Banks के सफलतापूर्वक संचालन के उपरांत शेष 54 Blood Storage Centre को भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाईटी के माध्यम से संचालित कराया जा सकेगा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाईटी के द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति दिये जाने के उपरान्त अवधि के बारे में अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।

इंडियन रेड क्रॉस सोसाईटी के द्वारा प्रथम चरण में संचालित होने वाले 17 Blood Banks की सूची निम्न प्रकार है -

| क्रम सं० | जिला का नाम | एफ0आर0यू0 का नाम |
|----------|-------------|--|
| 1. | मुजफ्फरपुर | सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर |
| 2. | सारण | सदर अस्पताल, छपरा |
| 3. | बेगूसराय | राष्ट्रकवि दिनकर ब्लड बैंक, सदर अस्पताल, बेगूसराय |
| 4. | सिवान | सदर अस्पताल, सिवान |
| 5. | वैशाली | सदर अस्पताल, हाजीपुर |
| 6. | समस्तीपुर | सदर अस्पताल, समस्तीपुर |

वित्तीय दिशा निर्देशन - ब्लड बैंक/रक्त भंडारण केन्द्रों के संचालन हेतु मेसर्स संतोष मेडिकल एजेंसी को उपरोक्त विवरणी के अनुरूप उक्त मद में इसी दर से व्यय किया जाना है। इसके लिये खर्च होने वाली कुल राशि को जिलावार 4 Quarter में बॉट कर राशि आवंटित की गयी है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्रांक-5668, दिनांक-24.03.08

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम - डॉ० अतुल कुमार सिन्हा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नं० - 9470003022



| | | |
|-----|------------------------|----------------------------|
| 7. | भोजपुर | सदर अस्पताल, आरा |
| 8. | मुंगेर | सदर अस्पताल, मुंगेर |
| 9. | नालन्दा | सदर अस्पताल, बिहारशरीफ |
| 10. | मधुबनी | सदर अस्पताल, मधुबनी |
| 11. | पश्चिम चंपारण (बेतिया) | एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया |
| 12. | बक्सर | सदर अस्पताल, बक्सर |
| 13. | खगड़िया | सदर अस्पताल, खगड़िया |
| 14. | सीतामढ़ी | सदर अस्पताल, सीतामढ़ी |
| 15. | गोपालगंज | सदर अस्पताल, गोपालगंज |
| 16. | औरंगाबाद | सदर अस्पताल, औरंगाबाद |
| 17. | लखीसराय | अनुमंडलीय अस्पताल, लखीसराय |

ब्लड बैंक/ब्लड स्टोरेज सेंटर चयनित FRUs के स्तर पर चलाई जायेगी। Indian Red Cross Society द्वारा चरणबद्ध तरीके से संचालित होने वाले कुल 71 FRUs की सूची संलग्न है। इसके प्रारम्भ होने के पश्चात प्रखंड/जिला स्तर के रोगियों को रक्त की कमी की समस्याओं को बहुत हद तक दूर किया जा सकेगा। इसके लिये Blood Donation Camp भी प्रखंड/जिला स्तर पर लगाया जायेगा, जिससे की ब्लड बैंक/रक्त भंडारण केन्द्र की गुणवत्ता के साथ-साथ इसकी उपयोगिता भी सिद्ध हो सके।

राज्य स्वास्थ्य समिति एवं बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सम्मिलित प्रयास से Blood Bank / Blood Storage Centre को चलाया जाना है। अतः इसका मूल्यांकन भी SHSB / BSACS के स्तर से कराया जायेगा।

इकाई राशि (रु० लाख में) -

| क्रम सं० | विवरणी | दर | माह | राशि (3 x 4 = 5) |
|---|---|-------------------|-----|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Generator and Fuel + lubricant and incidental charge of generator + miscellaneous expenditure | 24,000/- प्रतिमाह | 12 | 2,88,000/- |
| एक इकाई का एक वर्ष में संचालन हेतु कुल खर्च | | | | रु० - 2,88,000/- |

वित्तीय दिशा निर्देशन - Indian Red Cross Society के द्वारा जिन 71 ब्लड बैंक/रक्त भंडारण केन्द्रों को संचालित किया जाना है, उसे उपरोक्त विवरणी के अनुरूप उक्त मद में इसी दर से व्यय किया जायेगा। Indian Red Cross Society के द्वारा जिन जिलों में प्रथम चरण में कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, उस जिले को 1st quarter & 2nd quarter तथा जिन जिलों में द्वितीय चरण में कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, उस जिले को 2nd quarter & 3rd quarter में राशि आवंटित की गयी है। राशि खर्च होने के उपरांत SOE एवं UC के आधार पर पुनः राशि का आवंटन किया जा सकेगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम - डॉ० अतुल कुमार सिन्हा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नं० - 9470003022

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम ब्लड बैंक/रक्त भंडारण केन्द्रों के प्रचार-प्रसार से संबंधित

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर) - ~~अनुलग्नक 1 के आधार पर~~ ^{ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट}

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर) - A.1.1.1
(PART -A)

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण -

राज्य के सभी 76 FRU's में ब्लड बैंक/रक्त भंडारण केन्द्रों को लोक-निजी साझेदारी के तहत संचालित किया जाना है। इसे संचालित करने के संबंध में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रा0स्वा0रा0 की अध्यक्षता में दिनांक 24.03.09 को एक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें बि0रा0ए0नि0स0, यूनिसेफ एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाईटी के प्रतिनिधि उपस्थित हुये।

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य द्वारा उक्त बैठक में सर्वप्रथम ब्लड बैंक को इंडियन रेड क्रॉस सोसाईटी के माध्यम से संचालित कराने हेतु निर्णय लिया गया है। सभी ब्लड बैंकों के सफलतापूर्वक संचालन के उपरांत रक्त भंडारण केन्द्रों को संचालित कराया जा सकेगा।

ब्लड बैंक/रक्त भंडारण केन्द्रों के संबंध में आमजन को जागरूक करने के लिये प्रचार-प्रसार अतिआवश्यक है। इसलिये सर्वप्रथम 21 चयनित जिलों में (जहाँ ब्लड बैंक है) ब्लड डोनर कैंप लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी सूची निम्न प्रकार है -

| क्रम सं० | जिला का नाम | एफ0आर0यू0 का नाम |
|----------|------------------------|--|
| 1 | मुजफ्फरपुर | सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर |
| 2 | सारण | सदर अस्पताल, छपरा |
| 3 | बेगूसराय | राष्ट्रकवि दिनकर ब्लड बैंक, सदर अस्पताल, बेगूसराय |
| 4 | सहरसा | सदर अस्पताल, सहरसा |
| 5 | सिवान | सदर अस्पताल, सिवान |
| 6 | कटिहार | सदर अस्पताल, कटिहार |
| 7 | वैशाली | सदर अस्पताल, हाजीपुर |
| 8 | समस्तीपुर | सदर अस्पताल, समस्तीपुर |
| 9 | भोजपुर | सदर अस्पताल, आरा |
| 10 | मुंगेर | सदर अस्पताल, मुंगेर |
| 11 | नालन्दा | सदर अस्पताल, बिहारशरीफ |
| 12 | मधुबनी | सदर अस्पताल, मधुबनी |
| 13 | पश्चिम चंपारण (बेतिया) | एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया |
| 14 | बक्सर | सदर अस्पताल, बक्सर |
| 15 | किशनगंज | अनुमंडलीय अस्पताल, किशनगंज |
| 16 | खगड़िया | सदर अस्पताल, खगड़िया |
| 17 | सीतामढ़ी | सदर अस्पताल, सीतामढ़ी |
| 18 | पूर्णिया | सदर अस्पताल, पूर्णिया |
| 19 | गोपालगंज | सदर अस्पताल, गोपालगंज |
| 20 | औरंगाबाद | सदर अस्पताल, औरंगाबाद |
| 21 | लखीसराय | अनुमंडलीय अस्पताल, लखीसराय |

इकाई राशि (रु० लाख में) -

| क्रम सं० | विवरण | संख्या | दर (प्रति कैम्प) | राशि (3x4 = 5) |
|---|-------------------------|--------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | रक्त दान शिविर का आयोजन | 10 | रु०- 8000/- | 80,000/- |
| एक इकाई में ब्लड डोनर कैम्प लगाने हेतु एक वर्ष का कुल खर्च रु० - 80,000/- | | | | |

वित्तीय दिशा निर्देश -

उपरोक्त विवरण के अनुरूप 21 जिलों में वर्ष में 10 ब्लड डोनर कैम्प का आयोजन किया जाना है। इस ब्लड डोनर कैम्प के आयोजन हेतु 8000/- रुपये प्रति कैम्प दिया जा रहा है, जिसमें कम-से-कम 50 रक्तादाताओं (डोनर) का होना आवश्यक है। 50 रक्तादाताओं के रहने की स्थिति में 160/- रुपये प्रति रक्तादाता के दर से राशि देय होगा।

यदि रक्त दान शिविर में रक्तादाताओं की संख्या 50 से कम होती है तो इस राशि का उपयोग रक्त दान शिविर से संबंधित अन्य कार्यों यथा- गाड़ी भाड़े पर काम के लिये रखने, टेन्ट, कुर्सी, बैनर एवं आकस्मिक खर्च के रूप में भी किया जा सकता है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम - डॉ० अतुल कुमार सिन्हा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नं० - 9470003022

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम— 24 X 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सेवाओं के सफलतापूर्वक संचालन हेतु कार्यशाला का आयोजन (जिला स्तर पर)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष -A.1.1.2

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या -A.1.1.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण -

सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी तथा Block Health Manager/Block Programme Management Unit के सदस्य के लिए कार्यशाला का आयोजन करना। 24 X 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए निर्धारित मानक (Ref- www.mohfw.nic.in) के बारे में सभी को Powerpoint अथवा Lecture के माध्यम से अवगत करना।

24 X 7 PHC की परिभाषा—अनिवार्य सुविधाएँ

- 1 24 घंटे प्रसव की सुविधा, (Normal एवं assisted Delivery)
2. Essential New Born Care
3. आकस्मिकता हेतु Referral

वांछनीय सुविधाएँ—

- 1 A.N.C तथा RI की सुविधा
- 2 Post Natal Care की सुविधा
- 3 Early तथा सुरक्षित गर्भपात की सुविधा
- 4 परिवार नियोजन की सुविधा
- 5 RTI/STI की रोकथाम तथा इलाज
- 6 अनिवार्य Lab जाँच की सुविधा

इकाई राशि (रू० लाख में) — 25000/- प्रति जिला/एक वर्ष

वित्तीय दिशा निर्देशन :

↓ कार्यशाला आयोजन—(1 Day) (30-75 व्यक्तियों के लिए).

| S. No. | Items | Amount(Unit Cost) |
|--------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. | Venue Hiring | 5000max./Day |
| 2. | Working Lunch/Tea Snack | 150/person/Day |
| 3. | Honorarium to Guest Faculty/State | 1000/Day |
| 4. | Photocopy/Stationery etc. | 75/person/Day |

- इस कार्यशाला का आयोजन प्राथमिकता के आधार पहले/दूसरे Qtr. में किया जाना है (DPM के द्वारा तथा जिन जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या ज्यादा है वहाँ एक बार में ज्यादा लोगों (DPMU, BPMU, MOIC, CS) को प्रशिक्षित करना है।

कार्यशाला का **Outcome** :

प्रत्येक इकाई संलग्न प्रपत्र में स्कोरिंग के साथ प्रपत्र को भर कर कार्यशाला के तुरंत पश्चात जिला कार्यक्रम प्रबंधक को चेकलिस्ट समर्पित है। जिसे जिला कार्यक्रम प्रबंधक संकलित कर राज्य के संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रेषित करेंगे तथा जिला स्तर पर संकलित आंकड़ों के आधार पर 24 X 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सुदृढ़ बनाने की रणनीति बनाएंगे यह संभव है कि इस प्रकार के जिला स्वास्थ्य PIP में भी बना। और इस माध्यम से इसे और सुदृढ़ किया जाएगा।

चेकलिस्ट संलग्न है।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम—डा० वर्षा सिंह, सलाहकार— एम०सी०एच०

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर—0612-3244034, 9470003013

Scoring System

| Category/Facility | 1 | 2 | 3 |
|------------------------------|---|---|---|
| 1 Name and Address | | | |
| 2 Location and Accessibility | | | |
| A Road | | | |
| B Population Size | | | |
| C Other health Facilities | | | |
| D Market Place | | | |
| 3 Staff | | | |
| A Medical Officer | | | |
| B Staff Nurse/ANMs | | | |
| C Staff Quarters | | | |
| 4 Labour Room | | | |
| 5 Deliveries | | | |
| 6 Referral Services | | | |
| 7 Total Score | | | |

4.

MOIC के द्वारा column (1) भरने जाते के बाद
 DPM के द्वारा Scoring के उपर पर 1,2,3 और ग्रॉस रेट है 1

Scoring Criteria

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| A | Location and Accessibility | <p>3. If facility connected with an all weather road link</p> <p>1. If facility connected by a kuccha road</p> <p>0. If facility not connected by road</p> <p>3. Population size catered to > 35,000 (or > 25,000 in hilly/tribal areas)</p> <p>2. If Population size catered to 25,000 - 35,000 (or 15,000-25,000 in hilly/tribal areas)</p> <p>1. Population size catered to < 25,000 (or < 15,000 in hilly/tribal areas)</p> <p>3. If no private/charitable/trust hospital/health facility in a radius of 15 Kms</p> <p>2. If no private/charitable/trust hospital/health facility in a radius of 10 Kms</p> <p>1. If no private/charitable/trust hospital/health facility in a radius of 5 Kms</p> <p>0. If private/charitable/trust hospital/health facility present in a radius of 15 Kms</p> <p>1. If a market place is present within 2 Kms radius of facility</p> <p>0. If no market place is present within 2 Kms radius of facility</p> |
| B | Presence of Staff and Staff Quarters | <p>5. If 2 Medical Officers are posted and working at facility</p> <p>3. If 1 Medical Officer is posted and working at facility</p> <p>0. If no Medical Officer is working at facility</p> <p>5. If > 3 Staff Nurses/ANMs are posted and working at facility</p> <p>3. If 1-2 Staff Nurses/ANMs are posted and working at facility</p> <p>0. If no Staff Nurse/ANM is working at facility Staff Quarters</p> <p>3. Residential quarters for Doctors, Nursing Staff, and other paramedical staff</p> <p>3. Residential quarters for only Doctors and Nursing Staff</p> <p>1. Residential quarters for either Doctors OR Nursing Staff</p> <p>0. No residential quarters</p> |
| C | LR | <p>10. If the facility has a functional labour room with Electricity Supply (and power back-up) and 24 hour water supply</p> <p>8. If the facility has a labour room in use, with either Electricity Supply (and power back up) or 24 hour water supply</p> <p>5. If the facility has a labour room in use with no/intermittent electric supply and/or no/intermittent water supply</p> <p>1. If facility has a space earmarked as the labour room, but not in use</p> <p>0. If facility has no labour room</p> |
| D | Delivery | <p>10. If > 500 deliveries conducted annually</p> <p>8. If 100-499 deliveries conducted annually</p> <p>5. If 50-99 deliveries conducted annually</p> <p>2. If 20-49 deliveries conducted annually</p> <p>0. If < 20 deliveries conducted annually</p> |
| # | Referral Services | <p>3. Established Referral Linkage with sub-centres, villages and FRU (Government or Private)</p> <p>2. Established Referral Linkage with FRU (Government or Private) only</p> <p>1. Established Referral Linkage with Sub-centres and/or villages only</p> <p>0. No Referral Linkage with either the community or sub-centres nor the CHC or FRU (Government or Private)</p> |

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम : आर०सी०एच० की स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर दी जाने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता के आकलन हेतु।

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष - A.1.3.1

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या : A.1.3.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

एन०आर०एच०एम०/आर०सी०एच०-II के तहत प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं को ग्रामीण जनता तक पहुँचाने की सबसे पहली इकाई स्वास्थ्य उपकेन्द्र है। स्वास्थ्य उपकेन्द्र अथवा आँगनवाड़ी केन्द्र पर भी०एच०एन०डी० मनाने का भी प्रावधान है। इन स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर ANC/PNC/IFA/ORS /T.B/Malaria आदि की दवा वितरण, तथा IUD प्रविष्टी की सुविधाएँ दी जानी है। वर्तमान में यह सुविधाएँ स्वास्थ्य उपकेन्द्र/भी०एच०एन०डी० पर दी जा रही है अथवा नहीं इसकी निगरानी तथा सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का वर्ष में एक बार लाल रंग वाले स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थल निरीक्षण आवश्यक है। इस क्रम में Block Health Manager सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को दिए गए चेकलिस्ट के आधार पर तीन विभिन्न श्रेणी में विभक्त करेंगे जिसको पहले श्रेणी को हरा, दूसरे श्रेणी को पीला तथा तीसरे श्रेणी को लाल रंग HSC को रंगे तथा इसके आधार पर PHC का मानचित्र बनाकर प्रत्येक तीन महीने पर जिला स्वास्थ्य समिति को भेजेंगे Block Health Manager उन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का भ्रमण करेंगे जो लगातार लाल रंग में बने हुए हैं।

इकाई राशि (रु० लाख में) - 743.00 रु० प्रति लाल रंग से रंगे हुए उपकेन्द्रों को भ्रमण।

वित्तीय दिशा निर्देशन - इस राशि का उपयोग निगरानी करने वाले पदाधिकारी के वाहन के ईंधन तथा जलपान हेतु व्यय किया जाएगा। जिसका विपत्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जमा कर भुगतान प्राप्त किया जा सकता है।

Responsibility- Block Health Manager/MOIC बारी-बारी से या टीम बनाकर स्थल निरीक्षण करें।

Monitoring का Outcome:

इस प्रक्रिया के माध्यम से स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर ANC/PNC/IFA/ORS/T.B/Malaria आदि की सेवायें एवं दवा वितरण तथा IUD प्रविष्टी की सुविधा सुनिश्चित किया जाए।

Check List:

- 1 MCH Card
- 2 Eligible Couple Register
- 3 RI की सुविधा
- 4 Hub - Cutter
- 5 IUD Insertion की सुविधा
- 6 B.P. Machine
- 7 Weighing Machine
- 8 Spring Balance
- 9 Stethoscope
- 10 Fetoscope

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम - डॉ० वर्षा सिंह, सलाहकार, एम०सी०एच०

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नं० : 0612 - 3244034, 9470003013

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम— जननी बाल सुरक्षा योजना (घरेलू प्रसव)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष - A.1.4.1

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या - A.1.4.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण—

जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए घरेलू प्रसव हेतु भी सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है ।

इकाई राशि - 500.00 प्रति घरेलू प्रसव

वित्तीय दिशा निर्देशन -

घरेलू प्रसव हेतु सहायता पैकेज - घरेलू प्रसव का लाभ ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रु० 500/- देय होगा । केवल बी०पी०एल० परिवार के कार्डधारी प्रसूताएँ ही इसका लाभ उठा सकेगी । प्रसूता को वित्तीय लाभ देने से पूर्व प्रसाविका तीन प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगी -

- (क) उम्र 19 वर्ष या अधिक होना । (सक्षम अधिकारी)
- (ख) बी०पी०एल० परिवार का प्रमाण-पत्र
- (ग) मृत शिशु के उत्पन्न होने पर भी सहायता पैकेज देय होगा किन्तु केवल दो जीवित जन्मों तक ही लाभ देय होगा ।
- (घ) इस राशि का भुगतान ए०एन०एम० के माध्यम से किया जाएगा साथ ही संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से शिशु का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करवाना होगा एवं जन्म प्रमाण पत्र के साथ माता को 500 रु०/- की राशि देय होगी। जन्म प्रमाण पत्र के प्राप्ति रशिद पर ही 500 रु०/- के भुगतान की प्राप्ति भी सुनिश्चित की जाएगी।

Responsibility: Home Delivery कराने की जिम्मेदारी ANM की होगी। ANM अपने साथ Home Delivery में DDK का इस्तेमाल करेगी । DDK आशा किट में उपलब्ध होता है ।

चेकलिस्ट : D.D.K. का लिस्ट संलग्न।

Equipment

4 Pcs Gauze

Stainless Steel Blade

Cotton Pad

Two Pieces of Strong Thread

Small bar of soap

4 Pieces Collton

Plastic Sheet

Spring Balance

Outcome : सुरक्षित प्रसव

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम—डा० वर्षा सिंह, सलाहकार— एम०सी०एच०

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर—0612-3244034, 9470003013

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम- जननी सुरक्षा योजना (संस्थागत प्रसव) ग्रामीण

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष - A.1.4.2.1

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या - A.1.4.2.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वांछित कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान इस कार्यक्रम में किया गया है ।

यह प्रोत्साहन राशि गर्भवती महिला तथा संबद्ध आशा/ऑगनवाड़ी सेविका को देय है ।

इकाई राशि (रु० लाख में) - निम्नलिखित के अनुसार

| कार्य | लाभार्थी | राशि(रु०) |
|-------------------------------|---|--------------------|
| गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन | अप्रशिक्षित या प्रशिक्षित आशा/ऑगनवाड़ी सेविका | 100/-रु०(ग्रामीण) |
| प्रसव के समय वाहन की व्यवस्था | अप्रशिक्षित या प्रशिक्षित आशा/ऑगनवाड़ी सेविका अथवा गर्भवती महिला (जिसने वाहन की व्यवस्था की है) | 200/-रु०(ग्रामीण) |
| संस्थागत प्रसव के बाद | गर्भवती महिला (संस्थागत प्रसव के बाद) | 1400/-रु०(ग्रामीण) |
| बी०सी०जी० टीकाकरण के बाद | अप्रशिक्षित या प्रशिक्षित आशा/ऑगनवाड़ी सेविका | 300/-रु०(ग्रामीण) |

वित्तीय दिशा निर्देशन-

विशेष परिस्थिति में वित्तीय दिशा निर्देशन -

गर्भवती महिला (प्रसव के बाद) अथवा शिशु की मृत्यु हो जाती है तो इस परिस्थिति में भुगतान निम्न प्रकार देय होगा-

(क) गर्भवती माता की प्रसव के पश्चात अगर मृत्यु हो जाए तो भुगतान शिशु के पोषण हेतु देय है ।

(ख) अगर मृत शिशु जन्म अथवा नवजात शिशु की मृत्यु हो तो भुगतान माता को पोषण हेतु देय है ।

(ग) अप्रशिक्षित या प्रशिक्षित आशा/ऑगनवाड़ी सेविका को उक्त दोनों परिस्थितियों में भुगतान देय होगा । अगर माता और शिशु दोनों को मृत्यु हो जाए तो भुगतान केवल आशा को देय होगा ।

भुगतान की प्रक्रिया : लाभार्थी को चेक के द्वारा तथा आशा एवं अन्य को नगद भुगतान। (संबंधित पत्र -(ख)

Outcome : सुरक्षित प्रसव/आशा के पास Micro Birth Plan

Check List : आशा हेतु Micro Bith Plan संलग्न।

इस संदर्भ में यदि पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र न० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) SHSB/PM/22/2005/4345,Date:-12.09.2007(संलग्न)

(ख) SHSB/MCH/04/07/5342,Date:-22/02/2008 (संलग्न)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम-डा० वर्षा सिंह, सलाहकार-एम०सी०एच०

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर-0612-3244034, 9470003013

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम- जननी सुरक्षा योजना (संस्थागत प्रसव) शहरी

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष- A.1.4.2.2

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या- A.1.4.2.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वांछित कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान इस कार्यक्रम में किया गया है।

कुकी राशि (रु० लाख में)-

वित्तीय दिशा निर्देशन :

संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश-

| कार्य | लाभार्थी (गर्भवती महिला) ग्रामिण क्षेत्र | आशा/लाभार्थी | लाभार्थी (गर्भवती महिला) शहरी क्षेत्र | आशा/लाभार्थी |
|---|--|--------------|---------------------------------------|--------------|
| प्रसव पूर्व जाँच 1 | 100 रु०/- | 20 रु०/- | 100 रु०/- | 20 रु०/- |
| प्रसव पूर्व जाँच 2 | 100 रु०/- | | 100 रु०/- | 20 रु०/- |
| प्रसव पूर्व जाँच 3 | 100 रु०/- | | 100 रु०/- | 20 रु०/- |
| आई० एफ० ए० 1 | 100 रु०/- | | 100 रु०/- | 10 रु०/- |
| आई० एफ० ए० 2 | 100 रु०/- | | 100 रु०/- | 10 रु०/- |
| आई० एफ० ए० 3 | 100 रु०/- | | 100 रु०/- | 10 रु०/- |
| टी० टी० 1 | 50 रु०/- | | 50 रु०/- | 5 रु०/- |
| टी० टी० 2 | 50 रु०/- | | 50 रु०/- | 5 रु०/- |
| कुल | 700 रु०/- | | 700 रु०/- | 100 रु०/- |
| संस्थागत प्रसव | 700 रु०/- | | 300 रु०/- | |
| कुल | 1400 रु०/- | | 1000 रु०/- | |
| वाहन की व्यवस्था आशा अथवा गर्भवती महिला बी०सी०जी० टीकाकरण | 200 रु०/- | 200 रु०/- | | |
| | 300 रु०/- | | 100 रु०/- | |

| कार्य | लाभार्थी | राशि(रु०) |
|------------------------------|---|-----------------|
| गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन | अप्रशिक्षित या प्रशिक्षित आशा/ऑगनवाड़ी सेविका | 100/-रु०(शहरी) |
| संस्थागत प्रसव के बाद | गर्भवती महिला (संस्थागत प्रसव के बाद) | 1000/-रु०(शहरी) |
| बी०सी०जी० टीकाकरण के बाद | अप्रशिक्षित या प्रशिक्षित आशा/ऑगनवाड़ी सेविका | 100/-रु०(शहरी) |

विशेष परिस्थिति में वित्तीय दिशा निर्देशन -

| |
|---|
| गर्भवती महिला (प्रसव के बाद) अथवा शिशु की मृत्यु हो जाती है तो इस परिस्थिति में भुगतान निम्न प्रकार देय होगा- |
| (क) गर्भवती माता की प्रसव के पश्चात अगर मृत्यु हो जाए तो भुगतान शिशु के पोषण हेतु देय है। |
| (ख) अगर मृत शिशु जन्म अथवा नवजात शिशु की मृत्यु हो तो भुगतान माता को पोषण हेतु देय है। |
| (ग) अप्रशिक्षित या प्रशिक्षित आशा/ऑगनवाड़ी सेविका को उक्त दोनों परिस्थितियों में भुगतान देय होगा। अगर माता और शिशु दोनों को मृत्यु हो जाए तो भुगतान केवल आशा को देय होगा। |

भुगतान की प्रक्रिया : लाभार्थी को चेक के द्वारा तथा आशा एवं अन्य को नगद भुगतान। (संबंधित

रु०-रु०)

Outcome : सुरक्षित प्रसव/आशा के पास Micro Birth Plan

Check List : आशा हेतु Micro Birth Plan संलग्न।

इस संदर्भ में यदि पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र न० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) BHSB/PM/22/2005/4345, Date:-12.09.2007(संलग्न)

(ख) BHSB/MCH/04/07/5342, Date:-22/02/2008 (संलग्न)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम-डा० वर्षा सिंह, सलाहकार-एम०सी०एच०

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर-0612-3244034,9470003013

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम – सीजेरियन प्रसव कराने पर डाक्टर, पारामेडिक तथा RKS हेतु प्रोत्साहन राशि।

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष- A.1.4.2.3

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या- A.1.4.2.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

कुल प्रसव में जटिल प्रसव का अनुपात 15% है तथा 8% से 10% प्रसव में सीजेरियन आपरेशन करना जरूरी हो जाता है ताकि जच्चा बच्चा की जान बच सके। सरकारी अस्पतालों में हो रहे प्रसव में c-section का अनुपात 1% से भी कम है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जिलों के सरकारी अस्पतालों में c-section की सुविधा देना वांछनीय है।

इकाई राशि (रु० लाख में)-Rs.1500/-case

वित्तीय दिशा निर्देशन-

अगर किसी सरकारी अस्पताल में कुल प्रसव का 5% c-section किया गया है तो इसके उपरांत जो भी c-section किए जाएंगे उनपर डॉक्टर, पारामेडिक तथा RKS को निम्न प्रकार प्रोत्साहन राशि देय होगी -

| Activity | Toal Amount | RKS | Operating Dcotor | Anesthetist | Paramedic |
|-----------|-------------|-----|------------------|-------------|-----------|
| C-section | 1500 | 500 | 500 | 300 | 200 |

यदि किसी सरकारी अस्पताल में महीने में 100 प्रसव हुए हैं तो 5 c-section करने के बाद जो भी c-section किए जाएंगे उसके बाद प्रत्येक case पर यह प्रोत्साहन राशि देय है। अगर एक से ज्यादा डॉक्टर C-Section प्रसव करने में सक्षम है तो Case load बराबर बांट दिया जाएगा। RKS के मद में 500 रूपए देय राशि को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी उस केन्द्र के RKS में जमा करेंगे जिसे जिसका उपयोग गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों के लिए किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराया जा सकता है।

Outcome : जटिल प्रसव का प्रबंधन (C-Section के द्वारा)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम-डा० वर्षा सिंह, सलाहकार-एम०सी०एच०

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर-0612-3244034,9470003013

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम- मातृ मृत्यु लेखा

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष- A.1.5.1

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या - A.1.5.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण -

मातृ मृत्यु के कारण- रक्तस्राव, जटिल प्रसव, संक्रमण आदि है । इनकी विस्तृत जानकारी के लिए Maternal death Audit(मातृ मृत्यु लेखा) जरूरी है ।

इकाई राशि (रु० लाख में)-5 Lakh

इस कार्य के लिए राज्य में दो जिलों (जहानाबाद तथा किशनगंज) को 2.50-2.50 लाख रूपए का आवंटन किया गया है ।

वित्तीय दिशा निर्देशन- इससे संबंधित दिशा निर्देश राज्य सरकार के द्वारा जिलों को प्रेषित किया जायेगा तदउपरान्त इसे जिलों में व्यय किया जायेगा ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम-डा० वर्षा सिंह, सलाहकार-एम०सी०एच०

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर-0612-3244034, 9470003013